संख्या 197 /उन्तीस(2)/10-2(27पे0)/2007

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल, उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 10 फरवरी, 2010

विषय :– वित्तीय वर्ष 2009–10 में जिला योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में जनपद नैनीताल हेतु जिला योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्प अधिष्ठापन एवं मरम्मत हेतु रू0 62.00 लाख (रूपये बासठ लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उत्तराखण्ड जल संस्थान को आवंटित धनराशि का आहरण सम्बन्धित जनपदों के उत्तराखण्ड जल संस्थान के नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर तथा उस जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल सम्बन्धित जिलों के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्यकता के अनुसार आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

3– स्वीकृत किये जा रहें हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन शासनादेश संख्या 1016/उन्तीस/05–2–पे0/2005 दिनांक 15.05.2005 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद स्तर पर मा0 सासद, मा0 विधायकगण, सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता, जिला पंचायत के प्रतिनिधि एंव मुख्य विकास अधिकारी को सम्मिलित कर समिति गठित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर मा0 विधायकगणों की संस्तुति उपरान्त निर्धारित कर ली जाय। धनराशि का व्यय अनुमोदित स्थलो/कार्यो पर ही किया जायेगा। ऐसे कार्यो पर धनराशि कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नही है अथवा जो विवाद ग्रस्त है।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक अथवा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों एव विस्तृत आगणनों पर प्रशासकीय /वित्तीय स्वीकृति के साथ–साथ सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– कार्य की समयबद्धता एंव गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय। गुणवत्ता हेतु पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

.....2

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2010 तक पूर्ण उपयोग कर उक्त तिथि तक उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं धनराशि के उपयोग का विवरण मासिक रूप से भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7– स्वीकृत किये जा रहे हैण्डपम्प ऐसे स्थानों पर कदापि नहीं लगाये जायेगे जहॉ पर पूर्व में हैण्डपम्प अधिष्ठापित हो।

8– उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति– आयोजनागत–101– शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–91–हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन (जिला योजना)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे" डाला जायेगा।

9– यह शासनादेश राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनांक 24.03.2008 में उल्लिखित निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव

पृ0सं0 – 187(i)/उन्तीस(2)/10–2(27पे0)/2007 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त कुमाऊ, नैनीताल।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल उत्तराखण्ड।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल।
7. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, कुमायूँ, नैनीताल।
8. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 पेयजल मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
9. बजट अधिकारी (बजट निदेशालय), उत्तराखण्ड शासन।
10. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–2/वित्त बजट सेल/नियोजन प्रकोष्ठ।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
14. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पँवार)
संयुक्त सचिव

100210015